

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण पर हैं।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक।

आरोपी की ओर से श्री एम0पी0एस0 राणा अधिवक्ता उपस्थित।

मूल अभिलेख प्राप्त हुआ।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आरोपी की ओर से श्री राणा अधिवक्ता द्वारा अर्थदण्ड की बकाया राशि छः हजार रुपये जमा की, जो रसीद क्रमांक 1, बुक क्रमांक 11232 पर जमा कर उसे रसीद दी गई।

मूल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी की ओर से निर्णय दिनांक 15.09.17 को चार हजार रुपये रसीद क्रमांक 62 पर जमा किये जा चुके हैं। उक्त रसीद की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। शेष राशि छः हजार रुपये आज उसके द्वारा जमा किये जा चुके हैं। आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन में निवेदन किया गया है कि वह अपने भाई की बीमारी के इलाज के लिये ग्राम नावली जिला मुरैना चला गया था इस कारण से उसके द्वारा समयावधि में अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं की जा सकी थी इसलिये उसे क्षमा किया जाये।

आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आरोपी द्वारा संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि जमा की जा चुकी है तथा आरोपी दिनांक 12.03.18 से अभिरक्षा में है तथा मूल प्रकरण में उसके द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा भुगती जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अन्य कोई कार्यवाही प्रकरण में शेष नहीं है। अतः न्यायहित में आरोपी को छोड़ा जावे। उसका रिहाई आदेश जारी हो।

प्रकरण का सार पंजी अंकित कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

मोहम्मद अजहर
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड